

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1243/2016/अलवर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स इंसेक्टिसाईड्स (इण्डिया) लिमिटेड,  
रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास, सिरसा रोड़, हिसार (हरियाणा).

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष  
श्री के. एल. जैन, सदस्य

**उपस्थित ::**

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 13/09/2018**

### निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 368/अपील्स-1/आरवीएटी/आरवीएटी/जयपुर/2014-15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 28.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 12.9.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 12.09.2014 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-तृतीय, प्रतिकरापवंचन भिवाड़ी द्वारा वाहन संख्या एच.आर.67/ए-5532 को Pesticides परिवहनित करते हुए भिवाड़ी में चैक किया गया। वक्त चैकिंग वाहन चालक श्री विजय कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन में परिवहनित किया जा रहा माल हिसार (हरियाणा) से भरा है जो भिवाड़ी में बिल के पीछे लिखे पते पर खाली करना है। परिवहनित माल के संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जी.आर नम्बर 10358 दिनांक 11.09.2014 हिसार से चौपानकी, जिसमें माल 500 नग पेस्टिसाइड एवं स्टॉक

लगातार.....2

ट्रांसफर का नोट तथा इन्वॉयस संख्या 1418103297, 1418103300, 1418103303 जिसमें प्रेषक आई.आई.एल एवं प्रेषिति मैसर्स इंसेक्टिसाइड (इण्डिया) लिमिटेड का उल्लेख है एवं मैसर्स इंसेक्टिसाइड (इण्डिया) लिमिटेड हिसार का इन्वॉयस नम्बर 1418103297, दिनांक 11.09.2014 माल Pulsor 500 MLX12HDPEB, इन्वॉयस संख्या 1418103303 दिनांक 11.09.2014 माल Streptomil 6GM x 400 POU एवं इन्वॉयस नम्बर 1418103300 दिनांक 11.09.2014 माल Streptomil 6GM x 400 POU (DR), उक्त इन्वॉयसेज मैसर्स इंसेक्टिसाइड्स (इण्डिया) लिमिटेड, भानपुरी, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा स्टॉक ट्रांसफर के तहत जारी किया जाना पाया गया। उक्त समस्त इन्द्राज कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्टेड रूप में अंकित हैं तथा तीनों इन्वॉयसेज पर हाथ से Transshipment through to Chopanki (Bhiwadi) लिखा गया है। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल के संबंध में अन्य कोई दस्तावेज पेश करने में असमर्थता व्यक्त की गयी तथा बयान किया कि परिवहनित माल चौपानकी (भिवाड़ी) स्थित फ़ैक्ट्री जिसका पता बिल के पीछे अंकित है, में खाली करना हैं। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिल्टी के अवलोकन एवं वाहन चालक/माल प्रभारी के बयान पर पाया कि माल का परिवहन हिसार से चौपानकी स्टॉक ट्रांसफर के रूप में किया जा रहा है, जबकि प्रस्तुत इन्वॉयस हिसार (हरियाणा) से रायपुर (छत्तीसगढ़) के बनाये गये है, जिसका राजस्थान राज्य से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान राज्य में माल का आयात स्टॉक ट्रांसफर के रूप में करने पर माल के साथ बिल, बिल्टी व घोषणा प्रपत्र वैट-47 होना आवश्यक है। इस प्रकार माल प्रभारी द्वारा पेस्टिसाइड का परिवहन अपूर्ण दस्तावेजों से कर वैट अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपटित नियम 53 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए जांच अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत अभियोग दर्ज कर पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त कार्यवाही को युक्तियुक्त बताते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार करते हुये आदेश दिनांक 15.9.2014 से शास्ति रूपये 21,13,078/- का आरोपण किया, जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2015 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....3




3. उक्त तथ्यों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माल को राजस्थान राज्य में ब्रांच ट्रांसफर के रूप में प्राप्त होना मानते हुए इसके लिये नियम 53 के अनुसार घोषणा पत्र वैट-47 अनिवार्य मानकर इसके अभाव में अधिनियम की धारा 76(6) का आरोपण किया गया है, जिसके सम्बन्ध में पूर्ण परीक्षण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा आरोपित की गई शास्ति को अपास्त किया गया है।

4. राजस्व के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी का आदेश विधिसम्मत था एवं अपीलीय आदेश विधिविरुद्ध होने से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल किया जावे।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस प्रकरण में दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि यह माल हरियाणा से सीधा रायपुर (छत्तीसगढ़) के लिये परिवहनित किया जा रहा था, जिसकी सम्पूर्ण विगत माल के हरियाणा से परिवहन प्रारम्भ होने के समय दस्तावेजी रूप से घोषित किया हुआ था क्योंकि माल की बिल्टी में हिसार से माल चौपानकी (अलवर) कुल 500 नग, कीमत, भाड़ा एवं स्टॉक ट्रांसफर का नोट तथा प्रेषक एवं प्रेषिति, इंसेक्टिसाईड्स (इण्डिया) उल्लेखित किया गया था तथा समस्त बिलों पर हिसार डिपो द्वारा यह अंकित किया गया था कि यह माल चौपानकी, भिवाड़ी से Transshipment छत्तीसगढ़ के लिये किया जायेगा। बिल संख्या एवं बिलों के पीछे प्रत्यर्थी की चौपानकी स्थित फैक्ट्री का पता भी अंकित किया हुआ था। इस तरह माल स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी व्यवहारी की हरियाणा की फैक्ट्री से सीधा छत्तीसगढ़ की ब्रांच को ट्रांसफर किया जाना था तथा इस माल का Transshipment भिवाड़ी स्थित उनकी फैक्ट्री में किया जाना था। इस तरह माल राज्य के बाहर से राज्य के बाहर परिवहनित होने से अधिनियम की धारा 76(2) के अनुसार घोषणा पत्र वैट-47 की आवश्यकता नहीं थी परन्तु बिना किसी आधार के इस माल को राज्य में ब्रांच ट्रांसफर होना बताते हुए जो शास्ति आरोपित की गयी है, उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा पूर्ण विवचेन के साथ अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माल का परिवहन प्रत्यर्थी व्यवहारी की हिसार स्थित शाखा से छत्तीसगढ़ के रायपुर नामक स्थित ब्रांच के लिये किया जा रहा था जो परिवहन की जांच के समय प्रस्तुत किये गये बिलों में स्पष्ट अंकित किया हुआ था। हमारे द्वारा बिलों का अवलोकन किये जाने पर यह शब्द स्पष्ट लिखे हुए पाये गये "Transshipment through Chopanki

Bhiwadi" इस तरह यह स्पष्ट है कि उक्त प्रत्यर्थी जो कि एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में कार्यरत है, उनके द्वारा दिये गये जवाब अनुसार हरियाणा से सीधे छत्तीसगढ़ के लिये ट्रक उपलब्ध नहीं होने से उस माल को उनके भिवाड़ी स्थित डिपो से जाने वाले ट्रकों में भिजवाया जाना अंकित किया हुआ था, ऐसी स्थिति में एवं प्रत्यर्थी द्वारा जांच के बाद दिये गये नोटिस के जवाब में मय शपथपत्र यह तथ्य पेश किया गया था कि यह माल बिल्टी एवं बिल्टी अनुसार हरियाणा से सीधे छत्तीसगढ़ के लिये भिजवाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य में स्टॉक ट्रांसफर किया जाना मानते हुए घोषणा पत्र वेट-47 की अपेक्षा किया जाना विधि के विरुद्ध है एवं अकारण परिवहनित माल को रोके जाने का निर्णय है जो कि उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश में पेज संख्या 3 पर बिन्दु संख्या 4 में यह निर्णय दिया जाना कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में ऐसे संव्यवहारों का उल्लेख नहीं है कि Transshipment का अंकन किया जाकर माल को अन्य राज्य में भेजा जा सकता है। इस तरह का निर्णय किया जाना उनके शास्ति आरोपण के दृढ़ मानस को ही उजागर करता है क्योंकि अधिनियम की धारा 76 में परिवहन के दौरान बिल, बिल्टी एवं अन्य किसी भी तरह के घोषणा पत्र संलग्न करने के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान किये हुए हैं। इस प्रकरण में रेकॉर्ड पर उपलब्ध बिल, बिल्टी से यह प्रमाणित था कि माल का गमनागमन अन्य राज्य से किसी अन्य राज्य को किया जा रहा था एवं केवल परिवहन के लिये इस राज्य के डिपो में ट्रकों के जरिये Transshipment किया जा रहा था, ऐसी स्थिति में न तो माल राज्य में आना एवं न किसी तरह का करापवचन का प्रश्न उत्पन्न हो रहा था, ऐसी स्थिति में बिना किसी वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के शास्ति का आरोपण किया गया है, वह उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कराधान अधिकरण के निर्णय मैसर्स सोढ़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनी (10 एस.टी.टी. 220) एवं उसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की एस.एल.पी. में यह सिद्धान्त स्थापित किया हुआ है कि किसी माल को राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जाने पर अधिनियम की धारा 76 लागू नहीं की जा सकती।

8. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाहन चालक के बयानों को भी अंकित करते हुए यह निष्कर्ष दिये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है कि परिवहन के दौरान प्रत्येक कार्यविधि को घोषित किया गया था एवं वाहन चालक को माल चौपानकी तक बिल्टी संख्या 10358 के जरिये भेजते हुए


लगातार.....5





चौपानकी में माल भेजने के आदेश दिये हुए थे, उसमें कोई मिथ्या कथन नहीं किया गया है कि माल चौपानकी में खाली होना था एवं चौपानकी में Transshipment से माल का परिवहन अन्य राज्य में किया जाना था। ऐसी स्थिति में जब राज्य के बाहर से माल राज्य के बाहर जा रहा था तब राज्य के बाहर जाने वाले माल पर घोषणा पत्र वैट-47 की अपेक्षा किया जाना विधि अनुकूल नहीं है।

9. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत होने से, अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य

  
( वी. श्रीनिवास )  
अध्यक्ष